<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 303/2020/भीलवाड़ा (2020/00303)

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी शैतान मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री बजरंग पुत्र श्री धन्ना जाति लुहार निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. श्री बजरंगलाल पुत्र श्री उंकार जाति मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोंडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 10.06.2020 प्रकरण संख्या 32/2016.</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री गजेन्द्र सिंह,नारायणसिंह शक्तावत,वकील अपीलांटस
2. श्री मदनलाल गुर्जर,वकील रेस्पो0 संख्या 3
3. श्री गोविन्द शर्मा,वकील रेस्पो0 1
4. राजकीय अभिभाषक-उपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांकः-02.09.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर,भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2020 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा के न्यायालय में विरूद्ध अपीलांट एंव रेस्पो0 2 व 3 [illegible] नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत इन [illegible]नों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा अखेराम जी की खेडा तहसील [illegible]जपुर में अवस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा सं0 9 रकबा 6 बीघा भूमि का दिनांक 9.2.1987 को रेस्पो0 सं03 बजरंगलाल पुत्र उंकार को किया गया जो विधि विरूद्ध है क्योंकि आवंटन के वक्त आंवटित भूमि के कब्जे काश्त की तहकीकात नहीं की गई । आवंटित भूमि पर आंवटी का कब्जा काश्त नहीं होकर आवेदक का कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है एंव आवंटन की पात्रता नहीं रखता था आवंटन होने के पश्चात् आवंटी द्वारा आवंटन नियम व शर्तो की पालना नहीं की गई है । अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई ।

2- विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 सं0 2 व 3 का जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट को प्रकरण की जानकारी हुई । अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया अपीलांट ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं3 को आवंटन होने के पश्चात् दिनांक 11.5.1993 को गैर खातेदार से जरिये नामान्तरकरण संख्या 236 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये इसके पश्चात् उक्त आवंटी खातेदार का कब्जा काश्त रहते हुए आवंटी खातेदार से अपीलांट ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 29.1.2016 कब्जा लिया । विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 5.2.2016 को अपीलांट के नाम स्वीकार किया गया । जमाबंदी के अनुसार अपीलांट खातेदार काबिज काश्तकार है । आवेदनकर्ता बजरंग लुहार अपीलांट से रूपये ऐठने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है अपीलांटस सद्भाविक केता होने से मामले में आवश्यक व पीडित पक्षकार है। अतः अपीलांट को पक्षकार बनाया जावे ।

3- रेस्पो0सं0 1 ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की । विद्वान अति0जिला कलक्टर भीलवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को प्रकरण कर रेस्पो0 पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये ।

4- विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा ने मूल प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनकर अपने अवैधानिक निर्णय दिनांक 10.6.20 में प्रार्थना पत्र नियम 14(4)आवंटन नियम 1970 के अभिवचनों के विपरीत फाईडिंग देकर अधिकतम सीमा 15 बीघा से अधिक भूमि आवंटन करना फ्राड व मिस रिप्रजेंटेशन की परिभाषा में मानकर एंव आवंटन अतिक्रमण के आधार पर किया गया उसे भी नियम 12 का उल्लंघन अंकित कर आवंटन निरस्त कर दिया । अतः अपीलाट विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के अवैधानिक निर्णय दिनांक 10.06.2020 से व्यथित होकर निम्न उजरात पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो न्यायालय आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अति0जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 10.06.2020 विरूद्ध न्याय,नियम एंव कार्यवाही मिसल के होने से निरस्तनीय है एंव निर्णय जेर अपील अस्पष्ट,कारण व नॉन स्पीकिंग होने के साथ अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 सं03 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मिस रिप्रेजेन्टेशन के आधार आवंटन हासिल किये जाने बाबत् कोई कथन अंकित नहीं किया । रेस्पो0सं03 ने वक्त आवंटन व आज तक आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी । आवंटन के पश्चात् कब्जा रेस्पो0 सं0 2 को सुपुर्द कर दिया गया था । जिसके संबंध में कब्जा सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1987(वास्तविक आवंटन तिथि 9.2.1983)के लगभग 33 वर्षो बाद आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी रेस्पो0 सं03 को प्रदान किये जाने के बाद आवंटन को निरस्त करने का अधिकार विद्वान अधि0न्यायालय को नहीं था । अपीलांट को विक्रय किये जाने तथा वर्तमान में अपीलांट काबिज खातेदार काश्तकार के तथ्यों के मध्यनजर निर्णय पारित नहीं कर प्रार्थना पत्र नियम 14(4) को स्वीकार का कानूनी भूल की है ।

5- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थिति में प्रकरण में उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।xx

6- अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.06.2020 विरूद्ध न्याय,नियम एंव कार्यवाही मिसल व निर्णय जेर अपील अस्पष्ट,कारण व नॉन स्पीकिंग होने व आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1983 के लगभग 33 वर्षो बाद आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पो0 3 को प्रदान किये जाने के बाद आवंटन को निरस्त करने का अधिकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था एंव विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने नियम 12 के उल्लघंन करने से पूर्व समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों को अनदेखा किया है अतिक्रमियों को भूमि के आवंटन/नियमन के प्रावधान किये हुए हैं साथ ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया माननीय उच्च न्यायालय एंव माननीय राजस्व मण्डल ने अपने कई न्यायिक विनिश्चयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हुए है कि आवंटी को आवंटन किये जाने के बाद आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हो तो खातेदारी प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता ।

7- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस को आगे ब[illegible] कथन किया गया कि 1983 में रेस्पो0सं03 बजरंगलाल को म[illegible] आवं[illegible] हुआ एंव 1993 में खातेदारी दी गई जिसका [illegible] दिनांक 11.5.93

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल खातेदार ने 29.1.2016 को अपीलांट को पंजीकृत बेचाननाम द्वारा बेच दिया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 426 दिनांक 5.2.16 दर्ज हो गया है विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0सं03 के प्रार्थना पत्र को इग्नोर करते हुए नियम 12 के तहत मूल आवंटित को पहले से ही भूमि होना मानते हुए मूल आवंटन रद्द कर दिया जबकि रेस्पो03 के पास केवल 10 बीघा भूमि थी तथा 6 बीघा भूमि आवंटित हुई इस प्रकार कुल 16 बीघा भूमि होती है जबकि नियम 12 में अधिकतम 4 हैक्टर भूमि हो सकती है एंव भीलवाडा में एक हैक्टर में 6 बीघा 5 विस्वा होती है अर्थात पूर्व भूमि एंव आवंटित भूमि 25 बीघा तक हो सकती है। रेस्पो03 की पूर्व आराजी एंव आवंटित आराजी का कुल रकबा 16 बीघा बनता है जो नियमान्तर्गत ही है इस प्रकार रेस्पो0 3 को 33 वर्षो पूर्व विधिवत बाद जांच,आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटित किया जाकर आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी नियमानुसार प्रदान किये जाने एंव रेस्पो0 3 द्वारा किसी भी प्रकार से नियम 12 के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं होने से सद्भाविक केता (अपीलांट) को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1- RBJ 1995 Page 780 2-RBJ 1996 Page 412 3- RBJ 1997 Page 164 4- RBJ 2006 Page 11 5-RRT 2008 5(2) Page 834 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमि की रेस्पो0 सं0 3 को खातेदारी प्रदत्त उपरान्त नियम 14(4) के तहत खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती । अन्य दृष्टांत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1- RRT 2009(1) Para 7&8 2-RRT 2008(2) Para 9,10,11,13 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि 33वर्ष बाद कपट अथवा दुर्व्यपदेशन के आरोप की अनुपस्थिति में आवंटन निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है । भूमि आवंटन व कब्जा हस्तातंरण के बाद आवंटन रद्द किया अति0 कलेक्टर ने अस्पष्ट आदेश पारित किया कि कौन सी शर्त का उल्लघंन किया स्पष्ट नहीं किया जबकि राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में कब्जा हस्तान्तरित किया आवंटन 33 वर्ष बाद निरस्त किया जबकि आवंटी को पहले ही खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके हैं 10 वर्ष के बाद आवंटी को केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता था न कि नियम 14(4) के तहत अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2020 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

8- रेस्पोडेन्ट 1 के विद्धान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में कथन किया कि आवंटन शुदा आराजी खसरा सं09 से लगती हुई रेस्पो0 1 की खातेदारी आराजीयात है जिस पर वह काबिज काश्त होता चला आ रहा है उक्त कब्जाशुदा आराजी को भी उसी के द्वारा मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है इसलिए यदि नियमानुसार आवंटन नियमों के अधीन उदघोषणा जारी की जाती है [illegible] रेस्पो0 1 रखता था परन्तु आवंटन के नियमों की कतई कोई प[illegible] की गई,ना ही कोई उदघोषणा जारी की गई और रेस्पो03 द्वारा [illegible] शर्तो की कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

पालना नहीं की गई,ना ही उसका कभी आवंटित आराजी पर कब्जा रहा है साथ ही रेस्पो0 3 द्वारा आवंटन के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें 5 बीघा के लिए आवेदन किया गया था जिस पर पटवारी रिपोर्ट में उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा अतिक्रमी बताया गया है इस स्थिति में अतिक्रमी को नियमन के तो प्रावधान है परन्तु आवंटन के प्रावधान नहीं है साथ ही आवंटन के पश्चात् जो कार्यालय टिप्पणी तैयार की गई उसमें भी आवंटी का नाम बजरंग ना होकर बख्तावर अंकित किया गया है अर्थात आराजी बख्तावर को आवंटित की गई या बजरंग को स्पष्ट नहीं है । जहां तक रेस्पो0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 इतनी देरी करीब 33 वर्ष पश्चात् किये जाने का प्रश्न है उस संदर्भ में निवेदन है कि चूंकि उक्त आराजी पर रेस्पो0 1 का हमेशा कब्जा रहा है एंव आवंटन के पश्चात् रेस्पो0 3 द्वारा ना तो कब्जा प्राप्त करने की चेष्ठा की इसलिए रेस्पो0 1 को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं हो सकी इसलिए रेस्पो 1 को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी । मौजूदा अपीलांट को उक्त आराजी का बेचान कर दिया तब उसने मौके पर उक्त आराजी स्वंय की जानकारी दी इस संदर्भ में रेस्पो0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के पैरा 9 में भी कथन किया है कि यदि कोई आदेश प्रथम दृष्टिया वॉइड हो,विधि के अनुकूल ना हो,तो वह कतई किसी प्रकार के मियाद से बाधित नहीं होता है । यदि गलत रूप से नियमों के विरूद्ध जाकर खातेदारी दी जाती है तो उसे समाप्त भी किया जाता सकता है । अतः रेस्पो0 3 को नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत मौजा अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर में अवस्थित आराजी खसरा सं0 9 रकबा 6 बीघा भूमि का दिनांक 9.2.1983 को किया गया भूमि आवंटन शर्तो की मुताबिक व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने से निरस्त योग्य है रेस्पो0 भूमिहीन नहीं था एंव आवंटन के समय पटवारी रिपोर्ट में इनका नाजायज कब्जा बताया गया इस स्थिति में अतिक्रमण के आधार पर नियमन तो हो सकता है किन्तु आवंटन का नियम नहीं हैं ।

9- रेस्पोडेन्ट 1 के विद्धान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में आगे विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर,भीलवाडा के प्रकरण संख्या 32/2016 दिनांक 10.6.2020 में दिये गये ऑपरेटिंग पार्ट का उल्लेख किया जिसमें " आवंटन पत्रावली संख्या 2097/83 उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से श्री बजरंगलाल पिता उंकार मीणा ने अखेराम जी का खेडा ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम अखेराम जी का खेडा के आराजी संख्या 9 रकबा 5 बीघा की भूमि चाही गई । पटवारी रिपोर्ट में (प्रार्थी)रेस्पो0 1 के नाम 10 बीघा भूमि असिंचित होना अंकित किया इसके उपरान्त भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा (प्रार्थी) रेस्पो03 के नाम पर आराजी संख्या 9 में से 6 बीघा आवंटन की गई इस प्रकार 16 बीघा भूमि प्रार्थी (रेस्पो01) [illegible] नाम दर्ज [illegible] अधिकतम सीमा 15 बीघा से अधिक भूमि आवंटित [illegible] मिसरिप्रेजेंटेशन की परिभाषा मे आने से आवंटन [illegible] आवंटी को आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण के आधार पर किया जाना विधि विरूद्ध है । आवंटन कमेटी द्वारा अतिक्रमण को बढावा दिया गया है अतः प्रार्थी(अपीलांट) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एंव विपक्षीगण(रेस्पो01 व 3) के नाम ग्राम अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 9 रकबा 6 बीघा पर भूमि पर किये गये आवंटन को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 12 की स्पष्ट उल्लंघना होने से निरस्त किया जाता है । तहसीलदार जहाजपुर आराजी न0 9 रकबा 6 बीघा को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर कब्जे सरकार लेवें । "

अतः अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा वर्णित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त उनवानी अपील बोगस आधारों पर वर्णित होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया । रेस्पो0सं01 के अभिभाषक ने आज दिनांक 02.09.2020 को लिखित बहस भी पेश की,जो शामिल पत्रावली की गई ।

10- हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उपभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन व अवलोकन किया । तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एंव विधि प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया हम अपीलांट अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अपीलार्थी बोनाफाईड क्रेता है ऐसे में समस्त तथ्यों की बिना पूर्ण जांच/परीक्षण किये निर्णय पारित किया गया है । समस्त तथ्यों के आधार पर हम समझते है कि अपील के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का जांच/परीक्षण किया जाना आवश्यक है :- xx

1. क्या भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत कार्यालय टिप्पणी तैयार की गई उसमें भी आवंटी का नाम बजरंग ना होकर बख्तावर अंकित किया गया है अर्थात आराजी आराजी बख्तावर को आवंटित की गई या बजरंग को स्पष्ट नहीं है ?
2. क्या भूमि आवंटन के पहले राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों व उसके तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की पूर्णतया पालना की गई थी अथवा नहीं ?
3. क्या रेस्पो0 3 द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 12 की स्पष्ट उल्लंघना की गई है जिसमें 16 बीघा भूमि प्रार्थी (रेस्पो03)के नाम दर्ज हो जाने से अधिकतम सीमा 15 बीघा से अधिक भूमि आवंटित करना फ्राड व मिसप्रिजेंटेशन की परिभाषा मे आने से आवंटन निरस्त योग्य है ?
4. क्या रेस्पो0 3 वास्तविक रूप से उक्त आवंटित भूमि का अतिक्रमी था जिसे उक्त भूमि का नियमन कराये जाने की आवश्यकता थी ना कि आवंटन की ?

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

5. क्या 33 वर्षो बाद आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पो0 3 को प्रदान किये जाने के बाद आवंटन को निरस्त करने का अधिकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को था अथवा नहीं ?
6. क्या आवंटन से पूर्व उक्त आराजी पर किसका कब्जा था इसकी बिना मौके की जांच किये गये बिना आवंटन किया गया एंव क्या रेस्पो03 आवंटन हेतु की बजाय एंव रेस्पो01 आवंटन की पात्रता रखता था क्या रेस्पो0 1 द्वारा आवेदन किया गया था ।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं का विधि प्रावधानों के तहत विस्तृत विवेचन व विश्लेषण,मौका जांच, उभयपक्ष को सुनवाई के उपरान्त निर्णय किये जाने के निर्देश के साथ हस्तगत प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को (Remand) किया जाना उचित समझते हैं ।

–ःक्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 303/2020 (2020/00303) बउनवानी श्रीमती मंजू देवी बनाम बजरंगलाल व अन्य को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अति0जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2016 बउनवान बजरंग पुत्र धन्ना बनाम बजरंगलाल पुत्र उंकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2020 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के पैरा संख्या 10 में वर्णित बिन्दुओं पर विधि प्रावधानों के तहत विस्तृत विवेचन व विश्लेषण,मौका जांच कर उभयपक्षों को सुनवाई के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.07 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested